

परिपत्र

विषय:- विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान करने के संबंध में।

स्वस्थ्य भारत पहल को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पना की गई है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अपने एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्टाफ में जागरूकता पैदा करने के लिए विषय आधारित स्वास्थ्य संबंधी वार्तालाप का आयोजन कर रहा है। देश में विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और निपटान करने हेतु आम आदमी को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों द्वारा सम्बोधित किया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने परिजनों और परिचितों को बीमारियों से रोकथाम के उपायों और स्वस्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करें। पत्र आदि के रूप में आईईसी सामग्री भी, उपलब्धि के अनुसार प्रदान की जाएगी।

विषय आधारित स्वास्थ्य संबंधी वार्तालाप का आयोजन प्रत्येक बृहस्पतिवार सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे के बीच रिसोर्स सेंटर, कमरा सं. 445-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा जिसके पश्चात् हल्का चायपान भी प्रदान किया जाएगा।

12 जुलाई, 2018 (गुरुवार) के लिए निम्नलिखित विषय को चिह्नित किया गया है:

तारीख और समय	स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय	विशेषज्ञ
12.07.2018 सांय 4.00 से 5.00 बजे तक	तम्बाकू नियंत्रण	1. डॉ. जे.सी. सूरी, श्वसन औषधि विभाग, सफदरजंग अस्पताल 2. डॉ. एल. स्वास्थिचरण, सीएमओ (एनएफएसजी) स्वा.सेवा महानिदेशालय 3. सुश्री विनीत एम. गिल, एनपीओ, डब्ल्यूएचओ-इंडिया

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समस्त स्टाफ सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रक अधिकारियों से अनुमित लेकर उपर्युक्त कार्यक्रमों में हिस्सा लें।

*तनु जैन*

(डॉ. तनु जैन)

सहायक महानिदेशक (टीजे)

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी स्टाफ सदस्य।

प्रतिनिधि:-

1. डॉ. प्रोमिला गुप्ता, प्रधान परामर्शदात्री।
2. डॉ. मोहम्मद शौकत, सलाहकार (एनसीडी)।
3. डॉ. एल. स्वास्थिचरण, सीएमओ (एनएफएसजी)।
4. डॉ. जे.सी. सूरी, श्वसन औषधि विभाग, सफदरजंग अस्पताल।
5. सुश्री विनीत एम. गिल, एनपीओ, डब्ल्यूएचओ-इंडिया।

प्रतिलिपि :-

- i) सभी उपमहानिदेशक।
- ii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव।
- iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
- iv) संयुक्त सचिव (आरएम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निजी सचिव।